

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
आ
हुक्म

10 06
25

आज यह पत्रावली पेश हुई वसुधाय
पक्षकारान उपस्थित बटव उभयपक्ष
अधिबन्तागण पर मनन किया गया, पत्रावली
एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीर एवं
अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का मूले मंति अध्ययन
किया गया तो हम इस नजीरे पर पहुंचे हैं
कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में फरीकन
के हकों का मि खरिज दावा में साक्ष्यसूची
के परीक्षण के पश्चात हो सकेगा तू कि
गौर सामल की ओर से विभाजन का दावा
न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अतः
एवं सहकारिताइय इसके सह खातेइय को
अन्वेषक निवे दायी द्वारा पारदर्शक को यह
उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अन्वेषक निवे दायी प्रत्येक अन्वेषक
द्वारा यह RTI इसी तरह पर खारिज किया
जाता है तथा दिनांक 23.03.2022 को जारी
स्वगत न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा रहा है।
पत्रावली में सल सुमा होकर नम्बर से कम हो
बाद तकमील जाता दाखिल रहता है।

(राधेशमाम जीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसाक्, (भुसाक्)